

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 12/2014

Kiran Kumar Son of Shri Mahadev Prasad, Aged 30 Years,
Resident of Bolni, Tehsil Kishangarh Bas, District Alwar
(Rajasthan)

----Claimant/Appellant

Versus

1. Rohtash Son of Shri Polia Alias Prem Singh, Resident of Khijuriwas, Tehsil Tijara District Alwar (Raj.). Driver of The Vehicle Rajasthan Roadways Bus No. RJ-02-P-1591
2. Chief Manager, Rajasthan State Roadways Transport Corporation, Tijara, District Alwar (Raj.) - Registered Owner Vehicle Bus No. RJ-02-P-1591

----Non-Claimants/Respondents

Connected With

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 3871/2013

Rajasthan State Road Transport Corporation, Having Its Head Office At Parivahan Marg, C-Shceme, Jaipur Represented Through Its Officer-In-Charge.

----Non-Claimant/Appellant.

Versus

1. Kiran Kumar S/o Mahadev Prasad, Age 30 Years, R/o Bolni, Tehsil- Kishangarhbas, District - Alwar (Rajasthan)
2. Rohtash S/o Polia Alias Premsingh, Resident of Khijurivas, Tehsil-Tijara District-Alwar. Driver Rajasthan Roadways Bus No. RJ02-P-1591.

----Claimant/Respondent

----Non-Claimant/Respondent

For Appellant(s) : Mr. Girish Khandelwal, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Surendar Meel, Adv. (for RSRTC)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR**Order****08/12/2025**

1. दावाकर्ता/अपीलार्थी (जिसे आगे 'दावाकर्ता/आहत' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-12/2014, एवं प्रत्यर्थी/अपीलांट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (जिसे आगे 'अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी.' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-3871/2013, दोनों दीवानी विविध अपीलें धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, तिजारा जिला अलवर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-25/2009, किरण कुमार बनाम रोहताश व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2013 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।
2. दावाकर्ता/आहत किरण कुमार द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 90,45,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को कुल 9,89,648/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर दावाकर्ता/आहत की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-12/2014, विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु तथा अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-3871/2013, विद्वान अधिकरण द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दावाकर्ता/आहत की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-12/2014 के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता दावाकर्ता का

तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता की आय 4,500/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना दावाकर्ता/आहत मैसर्स खरकिया अलोयस प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत होकर प्रतिमाह 11,000/— रुपये वेतन प्राप्त करता था। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्ता/आहत का यह भी तर्क रहा है कि मामले की दुर्घटना में दावाकर्ता के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा दावाकर्ता के दाहिने पैर व दाहिने हाथ की हड्डी में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई, जिनके फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 90 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्ता/आहत का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में कोई भविष्य-वृद्धि नहीं की गयी है। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्ता/आहत का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में, भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में तथा अन्य मदों में भी पृथक से कोई राशि दावाकर्ता/आहत को नहीं दिलवाई गई है। अतः उपरोक्त आधारों पर दावाकर्ता/आहत की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-12/2014** स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-3871/2013** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि मामले की घटना दिनांक 27.08.2008 को घटित होना बताया गया है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.09.2008 को 13 दिवस के विलम्ब से दर्ज करवाई गयी है, अतः घटना संदेहास्पद मानी जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. का यह भी तर्क रहा है कि रोडवेज बस नम्बर आर.जे-02-पी-1591 (जिसे आगे 'प्रश्नगत वाहन' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के चालक द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गयी, मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन रोडवेज बस को गलत रूप से लिप्त किया गया है तथा घटना में स्वयं आहत की उपेक्षा रही है। अतः उपरोक्त

तर्कों के आधार पर अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या—3871/2013** स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावलियों व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है :—

सिविल विविध अपील संख्या—3871/2013 :—

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से मुख्यतः यह तर्क लिया गया है कि मामले की घटना दिनांक 27.08.2008 को घटित होना बताया गया है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.09.2008 को 13 दिवस के विलम्ब से दर्ज करवाई गयी है, अतः घटना संदेहास्पद मानी जावे। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 27.08.2008 को घटित हुई थी, जिसमें दावाकर्ता/रेस्पोंडेंट गंभीर रूप से घायल हो गया तथा दावाकर्ता/आहत को तुरन्त तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज हेतु ले जाया गया, जहां से उच्च इलाज हेतु रैफर किये जाने पर लाईफ लाईन हॉस्पिटल अलवर में इलाज करवाया गया तथा आहत की हालत गंभीर होने पर उसे एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर इलाज हेतु रैफर किया गया, जहां पर दिनांक 09.09.2008 को दावाकर्ता/आहत को होश आने व उसकी हालत में कुछ सुधार होने के पश्चात् दावाकर्ता/आहत के भाई जयकरण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप दावाकर्ता/आहत भिन्न—भिन्न अस्पताल में भर्ती रहा तथा उसके परिवारजन भी उसकी देखभाल में व्यस्त थे, इस कारण रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने में देरी कारित हुई है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य**, रिपोर्टेड इन (2011) 4 एस.सी.सी. 693 के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि :—

"20. It is well-settled that delay in lodging
FIR cannot be a ground to doubt the

claimant's case. Knowing the Indian conditions as they are, we cannot expect a common man to first rush to the Police Station immediately after an accident. Human nature and family responsibilities occupy the mind of kith and kin to such an extent that they give more importance to get the victim treated rather than to rush to the Police Station. Under such circumstances, they are not expected to act mechanically with promptitude in lodging the FIR with the Police. Delay in lodging the FIR thus, cannot be the ground to deny justice to the victim. In cases of delay, the courts are required to examine the evidence with a closer scrutiny and in doing so; the contents of the FIR should also be scrutinized more carefully. If court finds that there is no indication of fabrication or it has not been concocted or engineered to implicate innocent persons then, even if there is a delay in lodging the FIR, the claim case cannot be dismissed merely on that ground.

21. The purpose of lodging the FIR in such type of cases is primarily to intimate the police to initiate investigation of criminal offences. Lodging of FIR certainly proves factum of accident so that the victim is able to lodge a case for compensation but delay in doing so cannot be the main ground for rejecting the claim petition. In other words, although lodging of FIR is vital in deciding motor accident claim cases, delay in lodging the same should not be treated as fatal for such proceedings, if claimant has been able to demonstrate satisfactory and cogent reasons for it. There could be variety of reasons in genuine cases for delayed lodgment of FIR. Unless kith and kin of the victim are able to regain a certain level of tranquility of mind and are composed to lodge it, even if, there is delay, the same deserves to be condoned. In such circumstances, the authenticity of the FIR assumes much more significance than delay

in lodging thereof supported by cogent reasons."

8. इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के दुर्घटना में घायल होने पर निश्चित रूप से उसका स्वयं का तथा उसके परिवारजनों व निकट रिश्तेदारों का पूरा-पूरा ध्यान घायल के इलाज पर रहता है तथा किसी भी व्यक्ति से यह परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि वह घायल व्यक्ति को इलाज के लिए बाद में ले जाए तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने पहले जाए। इस प्रकार दावाकर्ता/आहत की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाये जाने का समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है। इन परस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट 13 दिवस विलम्ब से दर्ज करवाये जाने के तथ्य को किसी प्रकार से याचिका के लिए घातक नहीं माना जा सकता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाये जाने के संबंध में अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से ली गयी आपत्ति निरस्त की जाती है।

9. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलांट आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से ली गयी अन्य आपत्ति कि प्रश्नगत वाहन के चालक द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गयी, मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन रोडवेज बस को गलत रूप से लिफ्ट किया गया है तथा घटना में स्वयं आहत की उपेक्षा रही है। इस संबंध में पत्रावली पर संलग्न नक्शा मौका प्रदर्श-3 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दावाकर्ता/आहत अपनी मोटरसाईकिल से अलवर से तिजारा जा रहा था तथा रोडवेज बस तिजारा से अलवर जा रही थी। नक्शा मौका प्रदर्श-3 में 'एक्स' स्थान पर दुर्घटना कारित होना दर्शाया गया है। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी गवाह ए.डब्ल्यू-2 भागीरथ द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह तिजारा से अपने गांव ढाकी जा रहा था तभी रास्ते में चौधरी होटल के पास खलीलपुरी मोड पर राजस्थान रोडवेज बस नम्बर आर.जे-02-पी-1591 के चालक ने बस को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल चालक के सामने से टक्कर मार दी, प्रतिपरीक्षण में भी गवाह की साक्ष्य अखण्डित रही है। इसी प्रकार दुर्घटना के संबंध में प्रश्नगत वाहन के पंजीकृत स्वामी को दिये गये नोटिस अन्तर्गत धारा 133 मोटरयान अधिनियम प्रदर्श-7 के जवाब में भी प्रश्नगत वाहन स्वामी द्वारा वक्त

घटना प्रश्नगत वाहन रोडवेज बस को रोहिताश द्वारा चलाया जाना बताया गया है। साथ ही प्रश्नगत वाहन चालक के विरुद्ध बाद अनुसंधान न्यायालय में आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है, जिससे भी प्रश्नगत वाहन की लिप्तता दुर्घटना में प्रथम दृष्टया साबित होती है। इन समस्त परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता है कि मामले की दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन को मिथ्या लिप्त किया गया हो तथा मामले की घटना में स्वयं दावाकर्ता/आहत की कोई उपेक्षा रही हो। अतः इस संबंध में अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से ली गयी आपत्ति भी निरस्त की जाती है।

10. विद्वान अधिवक्ता अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से एक आपत्ति यह ली गयी है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता/आहत को अधिक क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई गयी है। इस संबंध में यदि पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता/आहत की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में कोई भविष्य वृद्धि नहीं की गयी है। यदि दावाकर्ता/आहत की निर्धारित आय पर भविष्य वृद्धि की जाती है तो निश्चित ही क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी होगी। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से अधिक क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में उठाई गयी आपत्ति भी निरस्त की जाती है।

11. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्त आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से प्रस्तुत अपील में कोई सार नहीं होने के कारण उक्त अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

सिविल विविध अपील संख्या-12/2014 :-

12. हस्तगत मामले की दुर्घटना में दावाकर्ता/आहत किरण कुमार के शरीर पर साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा दावाकर्ता/आहत के दायें पैर व दायें हाथ में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई, जिनके फलस्वरूप दावाकर्ता/आहत के शरीर पर कुल 90 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के

संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases**

450, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries.

13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in *Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd.* explained "just compensation" in the following words:

15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

13. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 27.08.2008 की बताई गयी है तथा वक्त घटना दावाकर्ता/आहत को 26 वर्ष की आयु का होना बताते हुए मैसर्स खरकिया अलोयस प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत होकर प्रतिमाह 11,000/- रुपये वेतन प्राप्त करना बताया गया है। दावाकर्ता/आहत द्वारा अपनी आय के संबंध में मैसर्स खरकिया अलोयस प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा जारी वेतन प्रमाण

पत्र प्रदर्श-184 पत्रावली पर पेश किया गया, जिसमें दावाकर्ता/आहत की फिक्स सैलेरी 11,000/- रुपये प्रतिमाह होना दर्शायी गयी है। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले कर्मचारी ज्ञानचंद को गवाह ए.डब्ल्यू-3 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने स्वयं को मैसर्स खरकिया अलोयस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत होना बताते हुए उक्त वेतन प्रमाण पत्र उसके द्वारा जारी करना बताया गया है। किन्तु इस संबंध में विद्वान अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दावाकर्ता/आहत को कम्पनी में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्ति देने का नियुक्ति पत्र व दावाकर्ता/आहत द्वारा कम्पनी में ज्वाइन करने की ज्वाइनिंग रिपोर्ट दावाकर्ता/आहत के लिए प्रबल साक्ष्य हो सकती थी लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज दावाकर्ता/आहत द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। जिनके अभाव में उक्त वेतन प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता/आहत की बी.कॉम व एम. बी.ए. की अंकतालिका को ध्यान में रखते हुए उसकी आय 150/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 4,500/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।

14. दावाकर्ता/आहत द्वारा क्लेम याचिका के चरण संख्या-4, 5 व 6 में स्वयं को वक्त घटना मैसर्स खरकिया अलोयस प्राइवेट लिमिटेड, चोपानकी में अकाउंट मैनेजर के पद पर नौकरी कर 15,000/- रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना बताया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा मृतक का वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-184 पत्रावली पर पेश किया है, जिसमें दावाकर्ता/आहत की फिक्स सैलेरी 11,000/- रुपये प्रतिमाह होना दर्शायी गयी है। उक्त वेतन प्रमाण पत्र जारी करने वाले कर्मचारी ज्ञानचंद को गवाह ए.डब्ल्यू-3 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने स्वयं को मैसर्स खरकिया अलोयस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत होना बताते हुए उक्त वेतन प्रमाण पत्र उसके द्वारा जारी करना बताया गया है, जिसका खण्डन नहीं हुआ है।

15. इस संबंध में हमारा मानना यह है कि क्लेम याचिका दिनांक 12.11.2008 को पेश की गयी है। उसी दिन दावाकर्ता/आहत ने यह बता दिया था कि

उसका नियोक्ता कौन है, वह कहां काम करता है तथा कितनी आय अर्जित करता है। गवाह ज्ञानचंद का बयान दिनांक 04.11.2011 को लेखबद्ध किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्धीगण, जिनमें प्रत्यर्धी आर.एस.आर.टी.सी. भी शामिल है, के पास पर्याप्त अवसर था कि वे इस बात के तथ्यों की जानकारी वेरिफाई करते कि दावाकर्ता/आहता उक्त मैसर्स खरकिया अलॉयस प्राईवेट लिमिटेड पर कार्य करता था अथवा नहीं, क्या कार्य करता था व उसे कितना वेतन मिलता था या क्लेम याचिका में आजीविका व आय के संबंध में वर्णित तथ्यों के खण्डन में प्रत्यर्धीगण कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकत थे, किन्तु इस संबंध में अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी. द्वारा खण्डन में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, जिससे कि दावाकर्ता/आहत के व्यवसाय व आय के संबंध में किये गये अभिवचनों का साक्ष्य में खण्डन होता हो। इसके अतिरिक्त इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Rajwati @ Rajjo & Ors. Vs. United India Insurance Company Ltd. & Ors.** reported in **2022 SCC OnLine SC 1699** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि :—

"19. It is well settled that Motor Vehicles Act, 1988 is a beneficial piece of legislation and as such, while dealing with compensation cases, once the actual occurrence of the accident has been established, the Tribunal's role would be to award just and fair compensation. As held by this Court in Sunita (Supra) and Kusum Lata (Supra), strict rules of evidence as applicable in a criminal trial, are not applicable in motor accident compensation cases, i.e., to say, "the standard of proof to be borne in mind must be of preponderance of probability and not the strict standard of proof beyond all reasonable doubt which is followed in criminal cases".

20. In view of the above, we do not agree with the view taken by the High Court while rejecting the salary certificate (Exhibit 19) and pay slip (Exhibit 20) of the deceased merely on the ground that the person issuing the two aforementioned documents was not examined before the Learned Tribunal. The said documents are conclusive proof of the income of the

deceased and were also corroborated by the statements of the deceased's wife (Appellant No. 1 herein) and his co-workers. As such, the High Court was not justified in assessing the income of the deceased at Rs.4,836/- per month on the basis of minimum wages fixed by the State at the relevant time. Resultantly, we affirm the findings of the Learned Tribunal so far as they relate to assessing the deceased's income at Rs.11,225/- per month on the basis of aforementioned two documents. Annual income of the deceased, therefore, amounts to, Rs.11,225/- x 12 = Rs.1,34,700/-."

16. ऐसी स्थिति में हम **राजवती उर्फ रज्जो (उपरोक्त)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए इस मामले में वक्त घटना दावाकर्ता/आहत की आय उसके वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-184 के आधार पर निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। दावाकर्ता/आहत के वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-184 में दावाकर्ता/आहत की आय 11,000/- रुपये मासिक दर्शायी गयी है। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-184 पर विश्वास करते हुए वक्त घटना दावाकर्ता/आहत की मासिक आय 11,000/- रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझती है। विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता/आहत की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में कोई भविष्य वृद्धि नहीं की गयी है। क्लेम याचिका में वक्त घटना दावाकर्ता/आहत को 26 वर्ष की आयु का होना बताया गया है। किन्तु विद्वान अधिकरण दावाकर्ता/आहत की एम.बी.ए. की अंकतालिका में अंकित जन्मतिथि 14.01.1985 के अनुसार वक्त घटना दावाकर्ता/आहत की आयु 24 वर्ष निर्धारित की गयी है। चूंकि वक्त घटना दावाकर्ता/आहत 24 वर्ष की आयु का वेतन भोगी व्यक्ति था, न कि स्वनियोजित व्यवसायी। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार दावाकर्ता/आहत की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय में 50 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 11,000/- रुपये का 50 प्रतिशत 5,500/- रुपये होता है। उक्त 50 प्रतिशत राशि को निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत दावाकर्ता/आहत की कुल

शुद्ध मासिक आय 16,500/— रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

17. हस्तगत दुर्घटना में दावाकर्ता/आहत के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई तथा दावाकर्ता/आहत के दाहिने पैर की जांघ व घुटने में तथा दाहिने हाथ की हड्डी में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई, जिनके सामूहिक प्रभाव से दावाकर्ता/आहत के शरीर में कुल 90 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-205 के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दावाकर्ता/आहत को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। इस प्रकार दावाकर्ता/आहत को 90 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता होने के आधार पर हम, दावाकर्ता/आहत को आय की क्षति भी 90 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार दावाकर्ता/आहत की निर्धारित मासिक आय 16,500/— रुपये का 90 प्रतिशत 14,850/— रुपये होता है जो दावाकर्ता/आहत को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना दावाकर्ता/आहत की आयु 24 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121 तथा प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार दावाकर्ता/आहत को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु दावाकर्ता/आहत की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार दावाकर्ता/आहत को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **14,850 x 12 x 18 = 32,07,600/— रुपये** होती है जो दावाकर्ता/आहत प्राप्त करने का अधिकारी है।

18. विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्ता/आहत को उसके इलाज पर व्यय हुई राशि के मद में 1,14,848/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

19. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में, भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में, पौष्टिक आहार की मद में, यातायात व परिवहन के मद में, इलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि

के मद में तथा परिचारक/सहायक की मद में पृथक से कोई राशि दावाकर्ता/आहत को नहीं दिलवाई गयी है। अतः उक्त मदों में हम पृथक-पृथक राशि दावाकर्ता/आहत को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

20. शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 90,000/- रुपये व भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में 90,000/- रुपये की राशि हम, दावाकर्ता/आहत को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

21. मामले की दुर्घटना तिजारा अलवर में कारित हुई है तथा दावाकर्ता/आहत को किशनगढ़बास अलवर का होना बताया गया है। ऐसे में दावाकर्ता/आहत को अपने इलाज के लिए बार-बार जयपुर आना जाना पड़ा होगा तथा दुर्घटना में कारित हुई चोटों के फलस्वरूप विशेष आहार की आवश्यकता भी रही होगी। ऐसी स्थिति में हम, पौष्टिक आहार की मद में 25,000/- रुपये तथा यातायात व परिवहन की मद में 20,000/- रुपये की राशि दावाकर्ता/आहत को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

22. मामले की दुर्घटना में दावाकर्ता/आहत के आयी चोटों के फलस्वरूप दावाकर्ता/आहत के दाहिने पैर की जांघ की हड्डी, घुटने की हड्डी तथा दाहिने हाथ की हड्डी में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित हुई। दावाकर्ता/आहत के पैर में कारित अस्थि भंग की चोटों के फलस्वरूप दावाकर्ता/आहत को जीवनभर चलने-फिरने में परेशानी कारित होगी। ऐसी स्थिति में हम, दावाकर्ता/आहत को परिचारक/सहायक की मद में 1,50,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

23. उपरोक्तानुसार दावाकर्ता/आहत निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	32,07,600/-
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	90,000/-
3.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में	90,000/-
4.	पौष्टिक आहार की मद में	25,000/-
5.	यातायात व परिवहन की मद में	20,000/-

6.	इलाज के दौरान व्यय हुई राशि के मद में	1,14,848 /—
7.	परिचारक/सहायक की मद में	1,50,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		36,97,448 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		9,89,648 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		27,07,800 /—

24. तदनुसार अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी. की ओर से संस्थित **सिविल विविध अपील संख्या-3871/2013** को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा दावाकर्ता/आहत किरण कुमार की ओर से संस्थित **सिविल विविध अपील संख्या-12/2014**, आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा दावाकर्ता/आहत किरण कुमार को **9,89,648 /— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **36,97,448 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। दावाकर्ता/आहत द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि दावाकर्ता/आहत प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

25. इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 11.02.2015 के अनुसार अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी. को आदेश दिया गया था कि वह विद्वान अधिकरण द्वारा आदेशित सम्पूर्ण राशि विद्वान अधिकरण के समक्ष जमा करवाए तथा जमा करवाई गई सम्पूर्ण राशि में से 50 प्रतिशत राशि का वितरण प्रत्यर्थी-दावाकर्ता को किया जाए तथा 50 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ.डी.आर. के रूप में जमा रखी जावे। चूंकि इस न्यायालय द्वारा अपीलांत आर.एस.आर.टी.सी. की अपील को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण के समक्ष जो 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा है, उसका भुगतान नियमानुसार दावाकर्ता/आहत को कर दिया जावे।

26. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से दावाकर्ता/आहत, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

27. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

28. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

29. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /9-10